राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ.17()खा.वि./न्याय/2026 जयपुर, हस्ताक्षरित दिनांक 16/03/2026

समस्त जिला रसद अधिकारी,

राजस्थान।

विषयः उचित मूल्य दुकानों के अटैचमेंट, कमीशन भुगतान गणना एवं नवीन प्राधिकार पत्र जारी होने की स्थिति में PoS कोड के संबंध में निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कतिपय उचित मूल्य दुकानें विभिन्न कारणों से अटैचमेंट व्यवस्था के अंतर्गत संचालित की जा रही हैं। इस संबंध में व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं–

1. जिलों में वर्तमान में अटैचमेंट पर संचालित उचित मूल्य दुकानों की अद्यतन स्थिति को विभागीय निर्देश दिनांक 09.03.2026 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 16.03.2026 के पश्चात् अटैचमेंट व्यवस्था में ऑफलाइन किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
2. दिनांक 17.03.2026 से अटैचमेंट संबंधी समस्त आदेश केवल सक्षम अधिकारी द्वारा ऑनलाइन विभागीय पोर्टल ई–पीडीएस (MIS) पर जारी किए जाएंगे। उक्त दिनांक पश्चात् किये गये अटैचमेंट संबंधी ऑफलाईन आदेश वैध नहीं होंगे।
3. उचित मूल्य दुकानदारों को कमीशन भुगतान की केन्द्रीकृत प्रणाली अन्तर्गत दिनांक 16.03.2026 तक किए गए अटैच दुकानों के भुगतान की गणना आप द्वारा गूगल शीट पर अपडेशन अनुसार उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जाएगी। इसके पश्चात किए जाने वाले अटैचमेंट के भुगतान की गणना सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभागीय पोर्टल ई–पीडीएस (MIS) पर ऑनलाइन आदेशों के अनुसार की जाएगी।
4. दिनांक 16–03–26 पश्चात ऑफलाइन अटैचमेंट किये जाने की स्थिति में गलत कमीशन भुगतान के लिए सम्बंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
5. यदि किसी उचित मूल्य दुकान के लिए नई विज्ञप्ति जारी कर नवीन प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है, तो संबंधित उचित मूल्य दुकानदार को नया PoS कोड जारी

किया जाएगा। पूर्व में जारी PoS कोड को किसी भी स्थिति में नवीन प्राधिकार पत्र में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

6. प्रत्येक नवीन प्राधिकार पत्र प्राप्त करने वाले उचित मूल्य दुकानदार को स्वतंत्र नया PoS कोड आवंटित किया जाएगा।
7. यदि पूर्व PoS कोड के अंतर्गत कोई अनियमितता के कारण गलत स्टॉक की प्रविष्टि पाई जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित पूर्व उचित मूल्य दुकानदार की होगी तथा वह स्टॉक पूर्व उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध वसूली हेतु लंबित रहेगा तथा शेष अवशेष स्टॉक को नवीन पॉस कोड़ में स्थानांतरित किया जा सकेगा।

अतः उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, शासन सचिव(खाद्य), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), सहायक आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, खाद्य विभाग, जयपुर।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. खाद्यान्न शाखा, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त